न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 869 / 2024
अनवान : –

1. विमला पत्नी राजेराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।

– **वादीया**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 30/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 16 / 18 के खसरा नं. 51, 71 की कुल तादादी 10.2310 है0 भूमि में से 4159 / 40924 हिस्सा भूमि व रोही मौजा ललाना बास उतरादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 79 / 86 के खसरा नं. 10 की कुल 6.0700 है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि वादीया के पति मृतक राजेराम पुत्र आशाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

राजेराम पुत्र आशाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके स्वर्गवास के बाद विमला (पत्नी) व दशरथ (पुत्र) जिनमें से दशरथ पुत्र राजेराम का अवाहित लावल्द स्वर्गवास हो चुका है इसलिए वाद भूमि में वादीया अकेली काबिज है। वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के [illegible] हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाता है तो कोई [illegible] शामिल मिसल किया गया। वादीया ने वाद के समर्थन में बतौर दस्ता[illegible]प्रतिलिपी जमाबंदी [illegible] 2076–79 रोही मौजा जोरावरपुरा खाता स0 16 / 18 व 79 / 86, [illegible]रासतन नामान्तरण [illegible]ने बाबत प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:40:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पत्र मय वारिसान प्रमाण पत्र, शपथ पत्र बाबत सदस्य, मृत्यु प्रमाण पत्र राजाराम, मृत्यु प्रमाण पत्र दशरथ पेश्ज्ञ किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादीया के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादी के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वर्तमान में वादीया के पति राजेराम के नाम दर्ज है। राजेराम पुत्र आशाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके स्वर्गवास के बाद विमला (पत्नी) व दशरथ (पुत्र) जिनमें से दशरथ पुत्र राजेराम का अवाहित लावल्द स्वर्गवास हो चुका है इसलिए वाद भूमि में वादीया अकेली काबिज है। इसलिए वादीया प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने के कारण से अपने पति राजेराम के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 16/18 के खसरा नं. 51, 71 की कुल तादादी 10.2310 है0 भूमि में से 4159/40924 हिस्सा भूमि व रोही मौजा ललाना बास उतरादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 79/86 के खसरा नं. 10 की कुल 6.0700 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादीया के पति मृतक राजेराम पुत्र आशाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया ने कथन किया है कि उक्त वाद भूमि वर्तमान में वादीया के पति राजेराम के नाम दर्ज है तथा वादीया के पुत्र दशरथ लावल्द फौत हो चुका है। वादीया ने अपने कथनों के समर्थन में मृत्यु प्रमाण पत्र बहक राजेराम व दशरथ व सदस्य प्रमाण राजेराम आदि दस्तावेज पेश किये। वादीया द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं वारिसान प्रमाण पत्र के अनुसार राजेराम के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। पेरोकार राज ने निवेदन किया की साक्ष्य सबूतों के आधार पर एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाना उचित है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर मुताबिक अनतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 16/18 के खसरा नं. 51, 71 की कुल तादादी 10.2310 है0 भूमि में से 4159/40924 हिस्सा भूमि व रोही मौजा ललाना बास उतरादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 79/86 के खसरा नं. 10 की कुल 6.0700 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि दोनो खाता में मृतक राजेराम पुत्र आशाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:40:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:40:14 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 869/2024

अनवान : –

1. विमला पत्नी राजेराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 869 सन 2024 निर्णय दिनांक 30/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 16/18 के खसरा नं. 51, 71 की कुल तादादी 10.2310 है0 भूमि में से 4159/40924 हिस्सा भूमि व रोही मौजा ललाना बास उतरादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 79/86 के खसरा नं. 10 की कुल 6.0700 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि दोनो खातो में मृतक राजेराम पुत्र आशाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:40:14 IST
Reason: SelfAttested